

हिन्द प्लास्टिक एवं अन्य

बनाम

सीमा शुल्क संग्रहकर्ता, बंबई और अन्य

13 अप्रैल, 1994

[बी.पी. जीवन रेड्डी और बी.एल.हंसारिया, JJ.]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 32 और 226 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962 के नियम 8 के तहत जारी अधिसूचना- अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं को चुनौती अधिसूचना खारिज- अनुच्छेद-32 के तहत कुछ अन्य आयातकों द्वारा रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए याचिकाकर्ताओं के फैसले के विपरीत कोई आधार नहीं हो सकता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962: धारा 2 (41), 314(1), 25/ नियम 8 अधिसूचना संख्या 184-सीयूएस दिनांक 2.8.1976 पी.वी.सी का पैकेज में आयात पैकेजों के संबंध में शुल्क / अतिरिक्त शुल्क से छूट मांगी गई, अधिसूचना चालान मूल्य में से पैकेजों के मूल्य में कटौती करने और उन्हें शुल्क/अतिरिक्त शुल्क से छूट देने पर विचार नहीं करती है। इस अधिसूचना को शुल्क/

अतिरिक्त शुल्क की वसूली से छूट देने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। कानून के अनुसार पैकेजों का आयात होता है और ऐसा आयात भी आइ.टी.सी प्रतिबंधों के अधीन है।

विधियों की व्याख्या: उपकरण, वैधानिक या अन्यथा-निर्माता के इरादे की व्याख्या और प्रयुक्त वास्तविक शब्दों का महत्व स्पष्ट है।

शब्द और वाक्यांश: 'अभिव्यक्ति मूल्य जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (41) और 14(1) में होता है।

केन्द्र सरकार ने, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सख्या 184-सीयूएस दिनांक 2.8.1976 जारी की, इस आशय से कि जहां कोई भी सामान भारत में 'पैकेज या कंटेनर में आयात किया गया था ऐसे पैकेज आदि को संपूर्ण सीमाशुल्क के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि (ए) जिन पैकेजों में सामान पैक किया गया था उनका मूल्य एवं आयातित माल का चालान मूल्य शामिल किया गया था। (ख) पैकेज इतने स्थायी व मजबूत नहीं थे कि बार-बार इन्हें उपयोग में लिया जा सके। (ग) पैकेज ऐसे थे जिनका आमतौर पर व्यापार में उपयोग किया जाता था।

अपीलकर्ता फर्म ने पी.वी.सी का आयात किया और कस्टम ड्यूटी व अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया। 1983 में फर्म ने माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। जिसमें पी.वी.सी के आयात पैकेजों पर सीमा शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क की वापसी का दावा अधिसूचना संख्या 184 से अनभिज्ञ होने के कारण भुगतान किए जाने का कथन किया। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उनके द्वारा कथित तौर पर उनका भुगतान किया जा चुका था। उन्होंने राजस्व को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि आगे किसी भी वस्तु पर सीमाशुल्क/ अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाए। इसी तरह के सामान विवादों से जुड़ी अन्य रिट याचिकाओं को भी दायर किया गया था एवं अंततः मामले एक डिवीजन बेंच को भेजे गए। उच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि सभी शर्तें अधिसूचना में निर्धारित चालान के अनुसार सही थीं। मूल्य में पैकेजों का मूल्य शामिल था, पैकेजों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्थायी या मजबूत हो कि उनका बार बार उपयोग किया जा सके और कुछ पैकेज ऐसे भी थे जो आमतौर पर पी.वी.सी पैकिंग के व्यापार में उपयोग किए जाते थे। दूसरी ओर, राजस्व ने तर्क दिया कि अधिसूचना में ऐसा नहीं था कि चालान मूल्य के किसी भी हिस्से की कटौती पर विचार करें या आयातित माल की अनुमति दें। उन्होंने पैकेजों को एक अलग भुगतान से बचाया बशर्ते वे निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं; इनका दावा है कि अपीलकर्ता की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि माल काफी पहले ही साफ(खत्म) हो चुका था। पैकेज यह निर्धारित करने के लिए उपलब्ध ही

नहीं थे कि वे अधिसूचना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा दी गई अधिसूचना की व्याख्या के आधार पर रिट याचिकाएं खारिज कर दी। व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने विशेष अपील दायर की। कुछ अन्य आयातकों ने भी अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएं दायर की।

इस न्यायालय ने अपील व रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया

और अभिनिर्धारित किया-

1.1 माननीय उच्च न्यायालय ने ठीक माना है कि अधिसूचना संख्या 184 स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से विचार नहीं करती है या प्रदान नहीं करती है ना ही अधिसूचना में ऐसे कोई शब्द हैं कि पैकेजों के मूल्य को इनवॉइस वैल्यू से काट दिया जाए और उन्हें विधिवत् अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाए। यदि वास्तव में यही इरादा होता तो यह स्पष्ट रूप से कहा होता, खासकर तब जब इस तरह की व्याख्या का प्रभाव निर्धारित आयातित वस्तुओं के मूल्य को संशोधित करने पर पड़ता है।

1.2 पी.वी.सी के संपूर्ण चालान मूल्य पर शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उचित अधिकारी को पैकेजों का मूल्य अलग करना चाहिए, लेकिन उस पर लगने वाले शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क की गणना पैकेजों पर लागू दर के अनुसार अलग से करनी चाहिए और कुल मूल्य में से इस राशि की कटौती करनी चाहिए।

इसके अंतर्गत "दो दरों का सिद्धान्त सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14(1) में मूल्यांकन के नियम के साथ असंगत है। हालांकि मौजूदा मामले में पैकेजों का मूल्य अलग से नहीं दिखाया गया था एवं पी.वी.सी पर लागू दर पर कुल चालान मूल्य पर शुल्क/अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। [521- ए – सी]

1.3 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 में खंड (41) द्वारा परिभाषित अभिव्यक्ति 'मूल्य का अर्थ धारा 14 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित माल का मूल्य है। पैकेजों का चालान अलग से दर्शाया गया है या नहीं, यह एक निर्विवाद एवं सार्वभौमिक तथ्य है। अधिसूचना के परंतुक का खंड (ए) धारा 14(1) की उप-धारा के मद्देनजर महत्व रखता है जो उस कीमत की बात करता है जिस पर सामान बेचे जाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात के समय डिलीवरी के लिए रखी जाती है। इसका अर्थ यह है कि सामान आमतौर पर जैसे बेचे जाते हैं वैसे ही बेचे जाते हैं लेकिन पी.वी.सी को नहीं बेचा जा सकता। आयातित पी.वी.सी का चालान मूल्य कई तथ्यों को सम्मिलित करता है उनमें से एक तथ्य पैकेज का मूल्य भी है। शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क का भुगतान पैकेज मूल्य के साथ संपूर्ण चालान मूल्य से होता है। मूल्यांकन एवं दर प्रयोजन के लिए पी.वी.सी पैकेज एक ही सामान होता है, दो नहीं। लेकिन कानून में पैकेज का आयात भी होता है और ऐसा आयात आई.टी.सी के अधीन होता

है। प्रतिबंधों के तहत राज्य उचित प्रविष्टि के तहत और उचित दर पर शुल्क/अतिरिक्त शुल्क लगाने का हकदार है। अधिसूचना को पैकेजों पर अलग से शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए बनाया गया है। [516- सी-डी, 519- बी-एच, 521-डी]

1.4 हालांकि ऐसा हो सकता है कि पैकिंग सामग्री पर दो बार कर लगाया जाए, एक सामग्री पर एवं दूसरा कंटेनर पर लागू दर पर। गैर मुक्त पैकिंग सामग्री पर शुल्क लगाने की स्थिति का नियम कठोर हो सकता है लेकिन इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। किस पर कर लगाया जाना चाहिए यह मामला न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि उपयुक्त संस्थाओं या पदाधिकारियों द्वारा तय किया जाना है। [520- एफ-जी]

1.5 अधिसूचना के परंतुक के खंड (बी) और (सी) तथ्य के प्रश्न हैं जिनके संबंध में प्रासंगिक समय पर उचित अधिकारी को संतुष्ट किया जाना चाहिए लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकी क्योंकि परीक्षण के लिए पैकेज उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्ता ने माल के आयात के समय अधिसूचना की प्रयोज्यता का प्रश्न नहीं उठाया। [518- बी - सी]

बेरियम केमिकल्स बनाम भारत संघ,(1988) 37 ई.एल.टी. 327, एवं भारत संघ व अन्य बनाम मैसर्स जलयान उद्योग एवं अन्य (1994) 1 एससीसी 318 संदर्भित किया गया कि प्रत्येक उपकरण, कानून की व्याख्या

इस प्रकार की जानी चाहिए कि उसमें वर्णित भाषा के संबंध में इसके निर्माता के इरादे के अनुरूप उपयोग किया जा सके। जिसमें प्रयुक्त वास्तविक शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सके क्योंकि वह क्षेत्र में प्रवेश करने के बराबर होगा लेकिन फिर भी सिद्धांत अपवादहीन है कि क्या यह उपकरण वैधानिक उपकरण है या साधारण उपकरण है, जो व्याख्या की गई है वह निर्माता के इरादे के अनुरूप होनी चाहिए जैसा कि प्रमाणित है।

हंसराज गोर्धनदास बनाम एच.एच.दवे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर और सीमा शुल्क, सुरत ओर अन्य, (1969) 12 एससीआर 253 में इसे दोहराया गया।

3.1 संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर रिट याचिकाएं कानूनन पोषित नहीं हैं और बनाए रखने योग्य नहीं हैं। केन्द्र के नियम 8 के तहत जारी व्याख्या या अधिसूचना उत्पाद शुल्क नियम, 1963 में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग की जा रही है। मात्र तथ्य यह है कि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के तर्क के विपरीत जो विचार किया गया है, उसका कोई आधार नहीं है।

श्रीमति उज्जन बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1963) 1 एससीआर 778

नई रिट याचिकाएं घटना के काफी समय बाद दायर की गईं। इस कारण से इसकी पुष्टि करने का कोई आधार आधिकृत के पास नहीं है।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2589 बी (एनएम) / 1985

बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.1.85 / 25.1.85 से डब्ल्यू.पी. 42/1983 की संख्या 227, 312, 229, 228, 220, 215, 219 का 1988 भारत के संविधान के अनुच्छेद -32 के तहत

याचिका कर्ता यशांक अधेरू, एस.फजल और पी.एच.पारीक अपीलकर्ताओं के लिए

जोसेफबल्ली पल्ली, अशोक के.श्रीवास्तव और सी.वी.सुब्बा राव विपक्षी की तरफ से।

न्यायालय का निर्णय बी.पी.जीवन रेड्डी, J. द्वारा सुनाया गया।

सिविल अपील संख्या में 1985 का 2589 अपीलकर्ता फर्म, हिन्द प्लास्टिक कुछ प्लास्टिक सामान के निर्माण में लगी हुई है व पी.वी.सी का आयात भी कर रहा है। यह समय समय पर सीमा शुल्क और उस पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते रहें है। वर्ष 1983 में इसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की डब्ल्यू .पी(सी) 1983 की संख्या 906 जिसमें कहा गया है कि वह शुल्क का भुगतान कर रहा था।

पैकेज पी.वी.सी से अनभिज्ञ रहते हुए आयात किया गया था। अधिसूचना संख्या 184 सीयूएस दिनांक 2 अगस्त 1976 जो उनके लिए सीमा शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क के लिए प्रदान की गई। इन्होंने शिकायत की कि उत्तरदाताओं को अधिसूचना के बारे में पता था और उन्हें यह जानकारी देनी चाहिए थी इससे अपीलकर्ता को लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इसमें पैकेजों से संबंधित सीमा शुल्क व अतिरिक्त शुल्क के रिफंड के लिए प्रार्थना की गई। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिकारियों को ऐसा करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की जिसे इसके द्वारा आयात किया जा सकता है। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं बंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई जिसकी सुनवाई डिवीजन बेंच ने की और याचिकाएं खारिज कर दी गई। डिवीजन बेंच ने यह व्यवस्था दी कि अधिसूचना पैकेजों के मूल्य में कटौती का प्रवधान नहीं करती है। अधिसूचना आयातित पी.वी.सी. के चालान मूल्य से व उक्त पैकेजों पर अलग से लगाए जाने वाले शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क को बचाता है।

अधिसूचना संख्या 184 दिनांक 2 अगस्त 1976 पर जिसे केन्द्रीय सरकार ने सीमा शुल्क की धारा 25 के तहत जारी किया गया और इस अधिसूचना को संपूर्ण रूप से पढा जाना आवश्यक है :

"सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम,1962 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि कोई भी सामान कहां से आयात या निर्यात किया जाता है। भारत से, पैकेज या कंटेनर या इसी तरह के पैकेज में या कंटेनरों या इस तरह की चीजों को छूट दी जाएगी-

- 1) उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से जैसा भी मामला हो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली या दूसरी अनुसूची के तहत जैसा भी मामला हो और,
- 2) उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची के तहत अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के तहत आयात के मामले में पैकेजों का मूल्य और उसमें शामिल कंटेनर में इसी तरह का सामान पैक किया गया है व मौजूद माल का चालान कर दिया गया है।

सामान पैकेज या कंटेनर में पैक नहीं किया गया है। जैसे जो भी प्लास्टिक पैकेट स्थायी व मजबूत है उनका बार- बार उपयोग होना उपयुक्त नहीं है।

सी- पैकेज या कंटेनर या इसी तरह का सामान जिसमें माल पैक किए गए ऐसे होते हैं जिनका सामान्यतः व्यापार में उपयोग किया जाता है ऐसे सामान ही पैक करना।"

यह अधिसूचना ऐसी समान अधिसूचनाओं से पहले की है जो पेंडसे, J. के फैसले, रिट याचिका संख्या 1699 का 1978 में किल्लोस्कर कमिंस बनाम भारत संघ और अन्य को तारीख 14/15 अक्टूबर 1981 में प्रतिपादित किया गया था।

पहली अधिसूचना संख्या 114, 25 नवम्बर, 1967 की है:-

अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया कि भारत में किसी सामग्री में पैक किया हुआ माल कहां से आयात किया जाता है, वह सामग्री जिसमें माल इस प्रकार पैक किया जाता है उस पर प्रतिकारी शुल्क सहित संपूर्ण सीमा शुल्क की छूट दी जाएगी। बशर्ते कि सामान सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में पैक किया गया हो। व्यापार में ऐसे माल की बार बार पैकिंग के लिए उपयोग उपयुक्त नहीं है। दूसरे शब्दों में अधिसूचना संख्या 114 में निर्धारित शर्तें मौटे तौर पर खंड बी एवं सी के अनुरूप हैं। 10 जून 1972 को एक अधिसूचना जारी की गई जो 25 नवंबर 1967 की अधिसूचना संख्या 114 के स्थान पर जारी की गई जिसमें इस आशय की एक अतिरिक्त शर्त प्रदान की गई थी कि जो माल आयात किया गया उसका मूल्य पैकिंग सामग्री के चालान मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि जो अतिरिक्त शर्त लगाई गई वह अधिसूचना में खंड ए के अनुरूप है। उपरोक्त के साथ 1976 की अधिसूचना संख्या 184 प्रभाव में आई।

अब 1976 की अधिसूचना संख्या 184 क्या कहती है यह देखते हैं। इस अधिसूचना के संदर्भित प्रावधान यह कहते हैं- 1) जहां कोई भी सामान भारत में पैकेजों में आयात किया जाता है ऐसे पैकेजों में अतिरिक्त शुल्क के साथ साथ संपूर्ण सीमा शुल्क में इससे छूट दी जाएगी। बशर्ते आयातित माल का चालान मूल्य में उन पैकेजों का मूल्य शामिल किया जाता है जिनमें माल पैक किया जाता है। 2) पैकेज स्थायी प्रकृति के नहीं हैं एवं इतने मजबूत भी नहीं है कि बार-बार उपयोग के लिए उपयुक्त हों। 3) पैकेज ऐसे होते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर ऐसी पैकिंग के लिए व्यापार में किया जाता है।

इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों शर्तों का उल्लेख किया गया है उसमें अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई छूट का लाभ उठाने के लिए 1,2,3 को संतुष्ट करना होगा। अब अपीलकर्ता द्वारा किए गए आयात के मामले में मूल्य पैकेजों को पी.वी.सी के चालान मूल्य में शामिल किया गया था। आयातित चालान में पी.वी.सी के मूल्य और उसके मूल्य का अलग से उल्लेख नहीं किया गया कि पैकेज अधिकारियों ने सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क लगाया। उपरोक्त तथ्यों पर अपीलकर्ता का मामला यह है कि चालान मूल्य में पैकेजों का मूल्य शामिल है। पैकेज स्थायी नहीं हैं एवं बार-बार उपयोग के लिए उपयुक्त होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं।

ऐसे पैकेज भी होते हैं जो आमतौर पर पैकिंग के व्यापार में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार अपीलकर्ता अधिसूचना संख्या 184 में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है और इसलिए वह रिट याचिका में मांगी गई राहत का हकदार है। दूसरी ओर राजस्व न्यायालय का मामला जो कि आमतौर पर निर्धारित किया गया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 14(1) के प्रयोजनों के लिए, या फिलहाल कोई अन्य कानून जिसके तहत कोई कर्तव्य हो आयातित माल का अर्थ है लागत+माल दुलाई+बीमा लागत शब्द में पैकिंग की लागत शामिल है और इसे पैकिंग सामग्री से बाहर नहीं किया गया है। ये भी किसी अन्य सामान की तरह आइ.टी.सी के अधीन है। प्रत्येक में अलग अलग मूल्यांकन से बचने के लिए उचित दर पर शुल्क प्रतिबंध और लगाए जाने योग्य हैं। प्रत्येक आयात पर सामान्य व्यापार पैकिंग लागत माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाता है जिस पर शुल्क लगाया जाता है और इस पर कोई कटौती नहीं होती है। अपीलकर्ता उनके द्वारा दायर प्रविष्टि बिलो में उक्त अधिसूचना पैकिंग सामग्री के मूल्य में किसी राहत का दावा नहीं करें। अधिकृत के पास अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावे की जांच करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि माल खत्म होने के बाद कोई पैकेज उपलब्ध नहीं है और यह निर्धारित करना कि क्या वे अधिसूचना संख्या 184 की

आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। अधिसूचना किसी भी हिस्से की कटौती पर विचार या अनुमति नहीं देती है।

पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, और डब्ल्यू.पी. संख्या 2053 ;1982 निस्तारण 16 अप्रैल 1984 को मिल्टन प्लास्टिक बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, बॉम्बे की याचिकाओं का वर्तमान बेंच जिसमें एमआईटी द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थी। उपरोक्त निर्णयों व मामले को डिविजन बेंच के पास भेज दिया। डिविजन बेंच ने असहमति जताई व याचिकाओं को बर्खास्त कर दिया।

अभिव्यक्ति मूल्य को धारा 2 में खंड(41) द्वारा परिभाषित किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम निम्नलिखित शब्दों में "किसी भी सामान के संबंध में मूल्य का मतलब है उसका मूल्य धारा 14 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उस तरीके को निर्धारित करता है जिससे आयातित माल का मूल्य निर्धारण किया जाना है।

रिट याचिकाओं के समूह को एक डिवीजन बेंच में भेजा गया बॉम्बे हाई कोर्ट 14/15 अक्टूबर 1981 को दायर रिट याचिका संख्या 1099 वित्तिय वर्ष 1978 को स्वीकार कर लिया गया था। अधिसूचना दिनांक 10 जून 1972 व अधिसूचना संख्या 184/1976 उसमें आयात से संबंधित चालान में सामान का मूल्य व पैकिंग शुल्क का मूल्य अलग से दिखाया गया था। पैकेजों का मूल्य उनके मूल्य का 4 प्रतिशत बताया गया था।

उन्होंने माना कि कोई शुल्क/अतिरिक्त शुल्क जो मशीनरी पैक है उस पर नहीं लगाया जा सकता।

10 जून 1972 की अधिसूचना में तीन आवश्यकताएं निर्धारित की गईं। माननीय न्यायालय ने बाद की दो अन्य रिट याचिकाओं में उक्त दृष्टिकोण दोहराया कि किसी भी सामान पर उसके मूल्य के आधार पर सीमा शुल्क लगाया जाए।

वह कीमत जिस पर आम तौर पर ऐसा या उसके जैसा सामान बेचा जाता है या बिक्री के लिए समय व स्थान पर डिलीवरी के लिए पेश किया गया हो या आयात या निर्यात जैसा भी मामला हो, जहां विक्रेता व खरीदार का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे के व्यवसाय में रूचि नहीं रखते हैं वहां बिक्री के लिए कीमत ही एकमात्र विचार है। बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना संदर्भ के साथ की जाएगी जिस तारीख को कोई विधेयक लागू होता है उस दिन विनिमय की दर लागू होती है।

यहां पर फिर से विस्तार से बताया जाएगा यहां तक कि यहां जो प्रश्न है वह भी धारा 25 के तहत शक्तियों के दायरे के संबंध में नहीं बल्कि एक के संबंध में है। अधिसूचना संख्या 184 दिनांक 2 अगस्त 1976 की उचित व्याख्या के संबंध में -

वर्तमान मामले में किसी भी कठिनाई को प्रस्तुत करें यह वास्तव में किसके संबंध में है तथ्य का प्रश्न है, उचित अधिकारी को संबंधित समय

पर संतुष्ट होना वर्तमान मामले में निःसंदेह यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। अपीलकर्ता ने माल के आयात के समय अधिसूचना की प्रयोज्यता का प्रश्न नहीं उठाया लेकिन घटना के काफी समय बाद प्रतिवादी अधिकारियों ने यह आपत्ति की है कि पैकेज अब उपलब्ध नहीं है, अब यह नहीं कहा जा सकता कि उपलब्ध थे या नहीं। वास्तव में परंतुक के खंड बी व सी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं फिलहाल हम इन दोनों खंडों को एक तरफ रख देंगे।

निवेदन यह है कि एक पैकेज में आयातित माल कहां है, पैकेज का मूल्य आयातित माल के मूल्य में शामिल है या नहीं मूल्य चाहे जो भी हो। यह सारहीन है कि क्या पैकेज का मूल्य चालान में अलग से उल्लिखित है या नहीं क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर पैकेज का कोई ना कोई मूल्य होता है अन्य मामलों में, परंतुक का खंड हर मामले में संतुष्ट है। सामान पैकेजों में आयात किया जाता है। ऐसे मामले में उचित अधिकारियों द्वारा ही सत्यापन किया जाना है व पता लगाया जाना है कि क्या खंड बी और सी परंतुक से संतुष्ट है। यदि वे संतुष्ट हैं तो पैकेजों पर कोई शुल्क / अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। पैकेजों का मूल्य जो भी हो उसे चालान मूल्य से घटाया जाना चाहिए। इस मामले में शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क केवल पी.वी.सी के शुद्ध मूल्य पर व सामग्री के उचित मूल्य पर लगाया जाता है।

यह तुरंत देखा जाएगा कि इस व्याख्या से परंतुक के खंड ए का प्रतिपादन उचित है या अनावश्यक पैकेज का मूल्य चालान मूल्य में शामिल होगा यह एक स्पष्ट तथ्य है चाहे वह अलग से दिखाया गया हो या नहीं। यदि हां तो यह शर्त क्यों बनायी गयी। पहली शर्त को हिंद प्लास्टिक बनाम कस्टम कलेक्टर छूट का लाभ लेने के लिए संतुष्ट करती है। 25 नवंबर 1967 की पहली अधिसूचना में यह शर्त नहीं थी। इसे पहली बार 10 वीं अधिसूचना में पेश किया गया था। इसे जून, 1972 व 1976 में जारी अधिसूचना संख्या 184 में दोहराया गया उक्त तथ्य एक व्याख्या के विरुद्ध है जो इसे अनावश्यक और कोई महत्व नहीं देता है। यह नहीं माना जा सकता कि केन्द्र सरकार ने बिना किसी अर्थ, महत्व व उद्देश्य के उक्त धारा पेश की हो। सभी आयातित वस्तुओं में पैकेजों का मूल्य शामिल होता है चाहे वह दिखाया गया हो या नहीं यह एक सार्वभौमिक तथ्य है। तो प्रश्न यह उठता है कि उक्त उपवाक्य का क्या अर्थ है इसके संदर्भ में सूचित करें - राजस्व न्यायालय के अनुसार उत्तर यह है कि जब धारा 14(1) "उस कीमत की बात करता है जिस पर आमतौर पर ऐसा या उसके जैसा सामान बेचा जाता है, या आयात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए बिक्री की पेशकश की गई हो। इससे तात्पर्य यह है कि बिका हुआ सामान वैसे ही हैं जैसे वे आम तौर पर होते हैं पी.वी.सी पैकेज के अलावा सामान बेचा नहीं जा सकता, पी.वी.सी की डिलीवरी पर आयात का स्थान

का अर्थ है पैकेज में डिलीवरी। इसमें आयातित पी.वी.सी के चालान मूल्य में पैकेज की लागत सहित कई कारक शामिल हैं। उसमें माल दुलाई, पैकिंग परिवहन के लिए श्रम शुल्क, आईएनजी और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। इस पर शुल्क व अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। चालान मूल्य जिसमें अन्य बातों के साथ साथ दर पर पैकेजिंग की लागत भी शामिल है। शुल्क व अतिरिक्त शुल्क की गणना करते समय पी.वी.सी के लिए निर्धारित चालान मूल्य को दो घटकों में विभाजित नहीं किया गया है। पी.वी.सी पर लागू दरों को लागू करते हुए अलग से गणना की गई है। पैकेज पर अलग से शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क का संपूर्ण चालान मूल्य पर होता है। पी.वी.सी पर लागू दर मूल्यांकन और दर के प्रयोजन के लिए यह एक माल ही है दो नहीं। लेकिन कानून में पैकेजों का आयात भी होता है जिस पर राज्य उचित प्रविष्टि के तहत और उचित दर पर शुल्क /अतिरिक्त शुल्क लगाने का हकदार है।

हालांकि अधिनियम लागू दरों पर शुल्क अलग से हो इस पर विचार नहीं करता है और ऐसा प्रतीत भी नहीं होता है। इसे स्वीकार करने के तरीकों में एक और कठिनाई दिखाई देती है जैसा कि उपर कहा गया पी.वी.सी के संपूर्ण चालान मूल्य लागू दर पर शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। अब यदि निर्धारित का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उचित अधिकारी को पैकेजों के मूल्य को

अलग करना चाहिए, पैकेजों पर लागू दर पर लगाए जाने वाले शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की अलग से गणना करनी चाहिए और कुल राशि में ऐसी राशि की कटौती कर देनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से पी.वी.सी के आयात के मामले में यहां पैकेजों का मूल्य अलग से नहीं दर्शाया गया था। पी.वी.सी पर लागू दर पर कुल चालान पर ड्यूटी / अतिरिक्त ड्यूटी लगाई थी। संक्षेप में हमें यह कहना होगा कि दोनों दृष्टिकोण में बल है। अधिसूचना को शुल्क / अतिरिक्त शुल्क लगाने से छूट देने के लिए बनाया गया है। पैकेजों पर शुल्क अलग से है क्योंकि कानून में पैकेजों का आयात भी होता है और ऐसा आयात भी आई.टी.सी के अधीन है।

उन्हीं कारणों से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय बेरियम केमिकल्स बनाम भारत संघ 1988 37 इ.एल.टी 387 को ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में हमें स्वयं को याद दिलाना होगा कि प्रत्येक वैधानिक उपकरण की व्याख्या की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य इस्तेमाल की गई भाषा के अनुरूप को ध्यान में रखना है। इस्तेमाल किए गए वास्तविक शब्दों को नजरअंदाज करें और कथित इरादे के पीछे जाएं ऐसा कोई नहीं कर सकता। तदनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना संख्या 184 के आधार पर रिट याचिकाएं खारिज की गईं

रिट याचिका (सिविल) संख्या में न. 227/88, 312/88, 221/88, 228/88, 220/88, 215/88, 219/88

जहां अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं और मुद्दा उठाया जाता है जैसा कि 1985 की सिविल अपील संख्या 2589 में उठाया गया था इसमें सिविल अपील खारिज कर दी गई थी, ये रिट याचिकाएं भी खारिज होनी चाहिए। हमारी यह भी राय है कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई रिट याचिकाएं कानूनन पोषणीय नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नियम 8 के तहत जारी अधिसूचना की व्याख्या को लेकर विवाद है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग कर रहे हो।

श्रीमति उज्जम बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य(1963) 1 एस.सी.आर 778 में बम्बई उच्च न्यायालय ने मात्र तथ्य को लिया है। इस मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के विपरीत दृष्टिकोण प्रतिपादित किया और यह कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत पेश रिट याचिकाओं के आधार पर न्यायालय में उपस्थित या पेश करने का कोई आधार नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये रिट याचिकाएं काफी समय बाद दायर की गई थी अर्थात् आयात की लंबी अवधि के पश्चात। आज अधिकृत के पास यह सत्यापित करने के लिए कोई आधार नहीं है कि दायर की गई रिट याचिकाएं पैकेजिंग संबंधी अधिसूचना के

समस्त प्रावधानों एवं औपचारिकताओं को संतुष्ट करती है या नहीं।
तदनुसार याचिकाएं 2000/- रू के खर्चे सहित खारिज की गईं।

अपील एवं रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. वीनू नागपाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।